प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड।

पत्रांक : विविध–(08)/ 885-89 /आपदा/2024–25 दिनांक 27 /अप्रैल, 2024

विषय : Heat Wave से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के अन्तर्गत विशेषकर मैदानी इलाकों में माह मई, से जून, के मध्य उच्च तापमान रहता है तथा उच्च तापमान के कारण जनमानस को स्वास्थ्य सम्बधी विकार एवं अन्य कठिनाइयों का सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में Heat Wave से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) उत्ताखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई जिसमें Heat Wave से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

- विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिए शुद्व पेयजल की व्यवस्था की जाय।
- प्रत्येक कार्य दिवस में लंच से पहले व लंच के बाद दो–दो बार छात्र–छात्राओं को पानी पिने हेतु प्रेरित किया जाय।
- लू लगने पर छात्र–छात्राओं को ओ.आर.एस. (ORS)/चीनी नमक एवं नींबू का पानी पिलाया जाय।
- विद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं को धूप में कदापी न रखा जाय।
- घर से विद्यालय तक पैदल मार्ग से आने वाले छात्र–छात्राओ को छाता लाने हेतु प्रेरित किया जाय।

अतः उक्त के सम्बन्ध में Heat Wave से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के साथ ही तद् सम्बन्धी कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु अपने जनपद के जिला प्रशासन, आपदा प्रबन्धन एवं स्वास्थ्य विभाग से भी समन्वयक स्थापित कर लिया जाय जिसकी कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

27/4/24

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: विविध–(08)/ 885-89 /आपदा/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन/प्रशासन) यू0एस0डी0एम0, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0, देहरादून।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून।

27/4/24

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।